

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-01/08-39/2020, परि0 2095
प्रेषक,

पटना/दिनांक:- 29/03/2020

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू Lockdown की स्थिति में मालवाहक वाहनों के परिचालन के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक-DO No. 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-29.03.2020

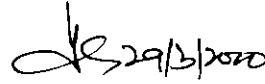
महाशय,

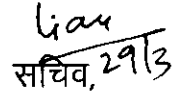
उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि COVID-19 के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूरे देश में Lockdown प्रभावी है, ताकि Social distancing का पालन हो। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तु यथा- खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल एवं अन्य आवश्यक सामग्री की दुलाई में संलग्न वाहनों को Lockdown से मुक्त रखा गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका सं0-3(a) में वर्णित निदेश द्वारा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (आवश्यक वस्तु एवं उससे भिन्न अन्य वस्तुओं की दुलाई में संलग्न) के परिचालन की अनुमति संसूचित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

 29/3/2020

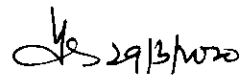
 29/3

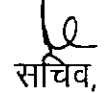
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 29/03/2020

ज्ञापांक- 01/08-39/2020/परि0 - 2095

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संस्थान, बिभाग, बिहार/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 29/3/2020

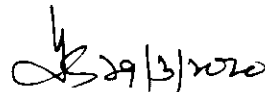
 29/3

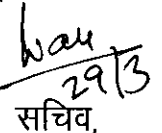
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 29/03/2020

ज्ञापांक- 01/08-39/2020/परि0 - 2095

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 29/3/2020

 29/3

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-01/08-39/2020, परि0 2015
प्रेषक,

पटना/दिनांक:- 29/03/2020

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू Lockdown की स्थिति में मालवाहक वाहनों के परिचालन के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक-DO No. 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-29.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि COVID-19 के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूरे देश में Lockdown प्रभावी है, ताकि Social distancing का पालन हो। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तु यथा- खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल एवं अन्य आवश्यक सामग्री की दुलाई में संलग्न वाहनों को Lockdown से मुक्त रखा गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका सं0-3(a) में वर्णित निदेश द्वारा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (आवश्यक वस्तु एवं उससे भिन्न अन्य वस्तुओं की दुलाई में संलग्न) के परिचालन की अनुमति संसूचित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संस्थान, विभाग, बिहार/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 29/03/2020

ज्ञापांक- 01/08-39/2020/420-2015

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

624
29/3

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-01/08-39/2020, परि0/2020-
प्रेषक,

पटना/दिनांक:- 29/03/2020

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू Lockdown की स्थिति में मालवाहक वाहनों के परिचालन के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक-DO No. 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-29.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि COVID-19 के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूरे देश में Lockdown प्रभावी है, ताकि Social distancing का पालन हो। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तु यथा- खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल एवं अन्य आवश्यक सामग्री की दुलाई में संलग्न वाहनों को Lockdown से मुक्त रखा गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका सं0-3(a) में वर्णित निदेश द्वारा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (आवश्यक वस्तु एवं उससे भिन्न अन्य वस्तुओं की दुलाई में संलग्न) के परिचालन की अनुमति संसूचित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संस्थान, विभाग, बिहार/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-01/08-39/2020, परि0/2015
प्रेषक,

पटना/दिनांक:- 24/03/2020

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू Lockdown की स्थिति में मालवाहक वाहनों के परिचालन के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक-DO No. 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-29.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि COVID-19 के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूरे देश में Lockdown प्रभावी है, ताकि Social distancing का पालन हो। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तु यथा- खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल एवं अन्य आवश्यक सामग्री की दुलाई में संलग्न वाहनों को Lockdown से मुक्त रखा गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका सं0-3(a) में वर्णित निदेश द्वारा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (आवश्यक वस्तु एवं उससे भिन्न अन्य वस्तुओं की दुलाई में संलग्न) के परिचालन की अनुमति संसूचित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

Uar
सचिव, 29/3

परिवहन विभाग, बिहार, पटना